रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258048
CG-DL-E-18102024-258048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4202]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946
No. 4202]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4568(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो इस अधिक्रमण से पहले किए गए हों अथवा किए जाने से छूट गए हों, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग –** तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा;

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा;

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित किया गया है, तालिका के क्रमशः कॉलम (5) और (6) की संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान व विकास के प्रयोजन से प्रति वर्ष पचास की संख्या तक सामान तथा वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगा, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा और विनिर्माता ऐसे सामानों या वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और मांगे जाने पर सरकारी प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**	**सामान्यतः कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)**	**सूक्ष्म उद्यमों हेतु कार्यान्वयन की तारीख**	**लघु उद्यमों हेतु कार्यान्वयन की तारीख**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
वाणिज्यिक वितरण और वेंडिंग के लिए विद्युत उपकरण	302 (भाग 2 / खण्ड 75) : 2018	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा - विशेष आवश्यकताएं - वाणिज्यिक वितरण उपकरण और वेंडिंग मशीनें	1 अप्रैल, 2025	1 अक्तूबर, 2025	1 जुलाई, 2025

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/7/2024– एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 2024

S.O. 4568(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Electrical appliance for commercial dispensing and vending (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Electrical Appliances for Commercial Dispensing and Vending (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (5) and (6) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply for fifty numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of electric appliances for commercial dispensing and vending per year and such imported goods and articles will not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish the same, if so desired by Government authorities.

3. Certification and enforcement authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table.

4. **Penalty for contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**	**Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)**	**Date of implementation for micro enterprises**	**Date of implementation for small enterprises**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Electrical appliances for commercial dispensing and vending	302 (Part 2/Sec 75): 2018	Safety or household and similar electrical appliances- particular requirements – commercial dispensing appliances and vending machine	1st April, 2025	1st October, 2025	1st July, 2025

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/7/2024-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA